संख्या-07/2022/404/77-3-2022-10(बजट)/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर, आजमगढ एवं अम्बेडकरनगर,ा।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2022

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में आ रहे जनपदों को भूमि क्रय/अधिग्रहण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-9876/यूपीडा/लेखा/18/ 1100/आवंटन दिनांक 25.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054.सड़कांे तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे 60-भूमि क्रय'' मद में प्राविधानित धनराशि रू0 25234.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 16427.50 लाख में से जिलाधिकारी, गोरखपुर रू0 50.00 करोड़, जिलाधिकारी, आजमगढ़ को रू0 19.00 करोड़ तथा जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को रू0 12.00 करोड अर्थात् कुल रू0 81.00 करोड़ (रू0 इक्यासी करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृत करने की सहर्ष सहमति प्रदान करते हैंः-

(1) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, गोरखपुर, आजमगढ़ तथा अम्बेडकरनगर के डिजाजिट खाते में जमा की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-1375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 तथा इस संबंध में जारी शासनादेश संख्या-2/2021/बी-3-138/दस-2021-100(4)/2021,दिनंाक 10.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054.सड़कांे तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 60-भूमि क्रय'' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1 सं0-3/2021-बी- 1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-7/2022/404(1)/77-3-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,अम्बेडकरनगर,गोरखपुर एवं आजमगढ़।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त ई-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/नियोजन-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।